संख्या-3/2023/ई-2253660/60-3-2022-सी-351364

प्रेषक,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
महिला कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ।

महिला कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक: 23 जनवरी, 2023

विषय-वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि की स्वीकृति विषयक।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-398-99/निदे0म0क0/लेखा-बजट/पुनर्विनियोग/2022-23, दिनांक 26.09.2022 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-06-अनाथालय और पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 लागू करने के निमित नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में रू0-39.52 लाख को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में पुनर्विनियोग के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के साथ स्वीकृत करने की अनुमति प्रदान की जाती है-

(1) वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07 जून, 2022 में दिये गये दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता का दायित्व निदेशक, महिला कल्याण का होगा। वित्तीय स्वीकृति का आदेश निदेशक, महिला कल्याण द्वारा बजट प्राविधान के सापेक्ष अवशेष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही निर्गत किया जायेगा।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग आदि उसी मद में किया जायेगा जिस मद हेतु धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

(5) जिस मद में धनराशि सक्रंमित की जा रही है उस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग निदेशालय द्वारा नहीं की जायेगी।

(6) निदेशक, महिला कल्याण द्वारा समस्त औपचारिकतायें एवं वित्तीय नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- उक्त स्वीकृत धनराशि को वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-107-स्वेच्छा संगठनों को सहायता-05-स्वैच्छिक संगठनों/संस्थाओं की सहायता के अन्तर्गत मद संख्या-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में संलग्न प्रपत्र बी0एम0-9 के कॉलम-3 में उपलब्ध बचतों से किया जायेगा।

3- उक्त व्यय अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक-2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-190-सार्वजनिक क्षेत्र तथा अन्य उपक्रमों को सहायता-06-अनाथालय और पूर्व आश्रम (पर्यवेक्षक और नियंत्रण) अधिनियम, 1960 लागू करने के निमित नियंत्रण बोर्ड उ0प्र0 को अनुदान-31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त विभाग की संख्या-RE-budget-1-189, दिनांक 14.12.2022 के क्रम में जारी किया जा रहा है।

संलग्नक - यथोक्त।

भवदीय,

दिनेश चन्द्र पाण्डेय
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या व दिनांक तदैव ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2- महालेखाकार (लेखा-परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज/लखनऊ।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा, उ0प्र0, संगम पैलेस, सिविल लाइन्स, प्रयागराज।
4- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।
5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
6- योजना अधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, लखनऊ।
7- वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-4/सदस्य सचिव, उ0प्र0 नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ ।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(दिनेश चन्द्र पाण्डेय)
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।